# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत हिण्डोली

प्रकरण संख्या:– 65/दावा/2017

1. खाना आयु 70 वर्ष आ0 रामदेव जाति बैरवा निवासी तार का खेडा
2. बच्चुराम आयु 68 वर्ष आ0 रामदेव जाति बैरवा निवासी तार का खेडा
3. सोभाग आयु 55 वर्ष पुत्री रामदेव जाति बैरवा निवासी तार का खेडा
4. हेमराज आयु 40 वर्ष आ0 हरजी जाति बैरवा निवासी तार का खेडा
5. पप्पू आयु 38 वर्ष आ0 हरजी जाति बैरवा निवासी तार का खेडा
6. प्रेमबाई आयु 60 वर्ष बेवा हरजी जाति बैरवा निवासी तार का खेडा तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

प्रतिवादी

दावा पत्र अंतर्गत :– धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट

वादी अभिभाषक :– श्री शम्भूदयाल शर्मा
प्रतिवादी – पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 08/12/2021

## निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट प्रस्तुत कर अंकन किया कि वादीगण एक मूल पुरूष की सन्तान है। वादीगण के पिता व दादा श्री रामदेव थे जिनके तीन पुत्र खाना, बच्चुराम व हरजी व एक पुत्री सोभाग देवी पैदा हुई है। रामदेव की मृत्यु हो गई है। रामदेव के पुत्र हरजी की भी मृत्यु हो गई। हरजी के वारिस वादी संख्या 4, 5, 6 है। वादीगण के हितों में कोई विरोधाभास नही है। कृषि भूमि खसरा संख्या 438/896 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 440 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा वाके ग्राम ब्राहम्णों का लुहारिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है जो जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 की खतोनी संख्या 140 में वादीगण के नाम लीजदार में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता व दादाजी श्री रामदेव आ0 श्रीकिशन के नाम एडवाईजरी कमेठी (आंवटन पर्मासर समिति) हिण्डोली अर्थात आंवटन अधिकारी ने दिनांक 10.05.1962 को उक्त भूमि काश्त हेतु अलोट की थी और आंवटन के बाद ही वादीगण के पिता व दादा रामदेव को आंवटित भूमि पर कब्जा सम्भला दिया था। आंवटी रामदेवजी ने ताजिन्दगी

भूमि पर काश्त की है। वादीगण के पिता व दादाजी भूमिहीन, गरीब व अनूसूचित ति के व्यक्ति थे जिसके पास जिवोकापार्जन का कोई साधन नही था ऐसी स्थिति में नकी परिस्थिति के मध्य नजर रखते हुये एडवाईजर कमेटी ने उपरोक्त भूमि दिनांक 10.05.1962 को वादीगण के पिता व दादाजी रामदेवजी आ0 श्रीकिशन के नाम निःशुल्क बिना दर के आंवटित की थी। वादीगण के पिता व दादाजी ने उक्त भूमि को पडत से फाडकर भूमि के ठूठ निकालकर समतल कर काफी पैसा लगाकर काबिल काश्त बनाया था और उक्त भूमि की फसल की जानवरों की सुरक्षा हेतु भूमि के चारो तरफ मेड व खाई लगाकर कांटों की बाड की थी तथा भूमि की फसल की सिंचाई हेतु मौके पर कुआ खुदवाया था। आंवटी रामदेवजी ताजिन्दगी उक्त भूमि पर शान्तिपूर्वक निरन्तर निर्बाध रूप से बिना किसी रोक टोक व दखलन्दाज के वादग्रस्त भूमि पर खेती करते रहे है। रामदेवजी की गत 35 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई है। उनके देहान्त के बाद से उनके पुत्र खाना, बच्चुराम व हरजी मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। रामेदव के पुत्र हरजी की भी गत 5–6 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई है। हरजी के वारिस हेमराज, पप्पू व प्रेमबाई है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर वादीगण ने मक्का, तिल्ली, उडद व ज्वार की फसल बो रखी है और शान्तिपूर्वक काश्त कर रहे है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता व दादाजी रामदेव को अलोट की गई थी। भूमि अलोट होने के उपरान्त गैर खातेदारी में दर्ज किये जाने के प्रावधान है लेकिन राज्य कर्मचारियों ने उक्त भूमि गैर खातेदारी के रूप के दर्ज नही करके लीजदार के रूप में दर्ज कर दी गई है। जबकि काश्तकारी अधिनियम में लीजदार की कोई श्रेणी नही है। राजस्व कर्मचारियों को वादग्रस्त भूमि वादीगण की लीजदारी में दर्ज करने का कोई हम व अधिकार नही था और नही लीजदारी का अंकन करने का किसी सक्षम अधिकारी का कोई आदेश था। बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के वादग्रस्त भूमि को लीजदारी में दर्ज करके राजस्व रिकोर्ड में अवैध एन्ट्री की है। लीजदारी का अंकन करने से पूर्व वादीगण को व वादीगण के दादा व पिता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है। ऐसी स्थिति में सुनवाई का अवसर दिये बिना ही राजस्व रिकोर्ड में किया गया अंकन विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। वादीगण अनपढ व्यक्ति है केवल हस्ताक्षर करना जानते है। वादीगण को रूपयों की आवश्यकता होने के कारण अपनी उक्त भूमि पर बैक से ऋण प्राप्त करने हेतु वादीगण दिनांक 10.05.2017 को बैक में गये और बैक मैनेजर से उक्त भूमि पर ऋण देने का अनुरोध किया तो उन्होने वादग्रस्त भूमि लीजदारी में दर्ज होने से भूमि पर ऋण देने से इन्कार कर दिया तब प्रथम बार वादीगण को वादग्रस्त भूमि लीजदार में दर्ज होने की जानकारी प्राप्त हुई है। वादीगण को उक्त भूमि लीजदारी में दर्ज होने की दिनांक 10.05.2017 को जानकारी प्राप्त होने पर वादीगण ने दिनांक 16.05.2017 को तहसीलदार हिण्डोली के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकोर्ड में से लीजदारी का अंकन विलोपित करने व भूमि वादीगण के खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी ने उक्त भूमि में दर्ज लीजदारी का अंकन विलोपित करने से इन्कार कर दिया यही वाद उत्पत्ति का कारण है। वाद कारण अन्तिम रूप से दिनांक 16.05.2017 को उत्पन्न हुआ है। वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 438/896 व खसरा संख्या 440 पर आंवटन की दिनांक 10.05.19662 से निरन्तर काबिज चले आने से वादीगण उक्त भूमि के कानूनन खातेदार बन चुके है। वादीगण गत 55 वर्ष से अपने पिता



उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

दादाजी के जीवनकाल से काबिज चले आने से कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादीगण उक्त भूमि के खातेदार बन चुके है। वादीगण वादग्रस्त भूमि पर आंवटन दिनांक 10.05.1962 से काबिज चले आने व गत 55 वर्षो से पिता व दादाजी के जीवनकाल से शान्तिपूर्वक काबिज चले आने से वादग्रस्त भूमि पर खातेदार अधिकार की घोषणा करवाने व राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी कॉलम में वादीगण का नाम दर्ज करवाने व राजस्व रिकोर्ड में से लीजदारी का अंकन विलोपित करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने लीजदारी का अंकन विलोपित करने व वादीगण को उक्त भूमि पर खातेदार घोषित करने हेतु प्रतिवादी को दिनांक 16.05.2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया लेकिन 2 माह की अवधि गुजर जाने के बावजूद प्रतिवादी ने वादीगण को न तो खातेदार घोषित किया है और न ही राजस्व रिकोर्ड में से लीजदारी का अंकन विलोपित किया है। ऐसी स्थिति में 60 दिवस की अवधि गुजर जाने के बाद वादीगण यह वादपत्र प्रस्तुत कर रहे है। आंवटन के 10 वर्ष बाद स्वतः ही खातेदारी दिये जाने के प्रावधान किये हुये थे पर वर्तमान में आंवटन कसे 3 वर्ष बाद स्वतः ही खातेदारी अधिकार दिये जाने के प्रावधान राज्य सरकार द्वारा कर दिये गये है। इसी प्रकार वादीगण भी उक्त भूमि के खातेदार बन चुके है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने अभी तक भी उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी में दर्ज नही की है। आंवटन समिति द्वारा वादीगण के पिता व दादाजी रामदेव को वादग्रस्त भूमि निःशुल्क आंवटन की गई थी लेकिन वादीगण ने सदभावना पूर्वक राजहित को देखते हुये 1962 में अलोटमेन्ट हेतु निर्धारित दर के अनुसार आंवटित भूमि की राशि राजकोष में दिनांक 26.07.2017 को जमा करवा दी है। इस प्रकार वादीगण की तरफ उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई राशि बकाया नही है। वादग्रस्त भूमि ग्राम ब्राहम्णों का लुहारिया पटवार मण्डल छाबडियों का नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने से श्रीमान को उक्त वादपत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। वादपत्र निर्धारित न्यायशुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावें कि – कृषि भूमि खसरा संख्या 4328/896 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 440 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा वाके ग्राम ब्राहम्णों का लुहारिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी पर वादीगण को जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में वादीगण का नाम खातेदार के कॉलम में अंकित किया जावे साथ ही राजस्व रिकोर्ड में दर्ज वादग्रस्त भूमि पर से लीजदारी का अंकन विलोपित किया जावे एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो वादीगण को प्रदान की जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 संलग्न जमाबंदी अनुसार स्वीकार है। वादपत्र की चरण संख्या 3 आंवटन दिनांक 10.05.1962 को पुराने खसरा संख्या 143 में से 15 बीघा होने की फोटों प्रति संलग्न अनुसार हुआ था। वाद पत्र की चरण संख्या 4 जमाबंदी में लीजदार दर्ज है। वाद पत्र की चरण संख्या 5 वादी स्वयं सिद्व करे। वाद पत्र की चरण संख्या 6 व 7 अस्वीकार है। वादपत्र की चरण संख्या 8 व 9 व 10 वादी स्वयं सिद्व करें। महोदय, वादीगण के पिता को पुराने खसरा नम्बर 143 में से 15 बीघा भूमि मुताबिक आंवटन आदेश की फोटोप्रति के



उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

थी। संलग्न मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 143 मि0 के नये खसरा नम्बर 438/896 रकबा 10.02 बीघा का ही मिलान होता है। नये खसरा नम्बर 440 का मिलान नही होता है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भू0अभिलेख निरीक्षक दिनांक 26.07.2017 व 04.08.2017 के अनुसार लीजदार का खसरा नम्बर 438/896 रकबा 10.02 बीघा व 440 रकबा 4.18 बीघा मे से केवल 4 बीघा 10 बिस्वा पर ही कब्जा काश्त है। अतः राजकीय बकाया के संदर्भ में टी0आर0ए0 तहसील हिण्डोली से रिपोर्ट अपेक्षित है। खसरा नम्बर 440 रकबा 4.18 बीघा में से 4 बीघा 10 बिस्वा पर खातेदारी देने शेष भूमि का वाद निरस्त किये जाने पर कोई आपत्ति नही हैं। जवाब सादर प्रेषित है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम ब्राहम्णों का लुहारिया खाता संख्या 140 सम्वत 2070 से 2073, फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 144 व 143, छायाप्रति आवेदन पत्र मय पटवारी रिपोर्ट लीजदारी से खातेदारी दिये जाने बाबत दिनांक 04.08.2017, फोटोप्रति आंवटन आदेश 10.05.1962, फोटो प्रति रसीद किमत भूमि जमा नम्बर 0070430 प्रस्तुत की है।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत छाबडियों का नयागांव में पेश हुई। नायब तहसीलदार दबलाना की ओर पत्र कमांक :– राजस्व/21/25 दिनांक 24.11.2021 से मौका जांच रिपोर्ट दौराने केम्प पेश की, जो शामिल मिसल है। वकील वादीगण उपस्थित है जिन्होने बहस अन्तिम सुने जाने व प्रकरण निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। हमने वकील वादीगण की बहस सुनी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 08.12.2021 केम्प हिण्डोली में पेश हुई।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 केम्प हिण्डोली में पेश हुई। वकील वादीगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। प्रकरण में विवादित भूमि वादीगण के पूर्वज रामदेवा को दिनांक 10.05.1962 को खसरा नम्बर 144 व 143 में से 15 बीघा लीजदारी में आंवटित हुई थी, जो वर्तमान मे वादीगण के नाम लीजदारी में दर्ज है, को अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाना चाहते है। प्रकरण में पटवारी हल्का छाबडियों का नयागांव द्वारा विवादित भूमि की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें भूमि खसरा संख्या 438/896 रकबा 10.02 बीघा व खसरा नम्बर 440 रकबा 4.18 बीघा में से 4.10 बीघा भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होना अंकित है साथ ही पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार विवादित भूमि वादीगण के पूर्वज को दिनांक 10.05.1962 को पुराने खसरा नम्बर 144 व 143 वर्तमान खसरा नम्बर 438/896 व 440 लीजदारी में आंवटित होना व वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त होना अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन आदेश 10.05.1962 से खसरा नम्बर 144 व 143 में से 15 बीघा ग्राम ब्राहम्णों का लुहारिया प0म0 छाबड़ियों का नयागांव में 15 बीघा भूमि वादीगण के पूर्वज रामदेव को लीजदारी में आंवटित होना प्रमाणित है व उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होना प्रमाणित जाहिर आया है। उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों से विवादित भूमि वादीगण को विधिवत आंवटन होना व लगातार कब्जा काश्त होने व आंवटन शर्तो की पालना करने से स्वयं को खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खाता संख्या 438/896 रकबा 10.02 बीघा व खसरा नम्बर 440 रकबा 4.18 बीघा में से 4.10 बीघा (कब्जे अनुसार) वाके ग्राम ब्राहम्णों का लुहारिया, पटवार मण्डल



उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

डयों का नयागांव जो कि वादीगण खाना, बच्चूराम पिता रामदेवा, सोभाग पुत्री देवा, हेमराज, पप्पू पिता हरजी, सम्पत पुत्री हरजी, मु0 प्रेम पत्नी स्व0 हरजी (जमाबंदी नुसार) कोम बैरवा के नाम लीजदारी में दर्ज है, पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण की ओर से यदि भूमि बाबत कोई राजकीय राशि बकाया हो तो तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा जॉच कर जमा करने के उपरान्त राजस्व रिकोर्ड में खातेदार के रूप में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दपतर हो। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत हिण्डोली में सरेआम सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)